

प्रशांत सिंह एवं अन्य आदि

बनाम

मीना एवं अन्य आदि

(सिविल अपील संख्या 8743-8744/2014)

25 अप्रैल 2024

[सूर्यकांत एवं पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या चकबंदी अधिकारी उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू होने से पहले विरासत में मिली भूमि/संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति को स्वामित्व प्रदान कर सकता है।

हेडनोट्स

उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 - धारा 49 - क्या चकबंदी अधिकारी किसी भूमि/संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति को स्वामित्व प्रदान कर सकता है:

आवधारित: उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 ("1953 अधिनियम") की धारा 49 एक अस्थायी प्रावधान है जो केवल चकबंदी कार्यवाही के लंबित रहने की अवधि के दौरान सिविल या राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निलंबित करता है - इस अप्रतिबंधी प्रावधान के माध्यम से सिविल या राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का यह निलंबन केवल भूमि धारकों के अधिकारों की घोषणा और निर्णय के संबंध में है - 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत एक चकबंदी अधिकारी का कर्तव्य भूमि धारक के विभिन्न भूखंडों को खंडित होने से रोकना और उन्हें समेकित करना है - 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत दी गई शक्ति का उपयोग किसी भूमि धारक के निहित अधिकारों को छीनने के लिए नहीं किया जा सकता है - कल्याण सिंह ने भूमि धारक के रूप में पैतृक अधिकार प्राप्त किए थे - वह चकबंदी कार्यवाही शुरू होने से काफी पहले से विवादित भूमि में सह-मालिक थे - 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत एक चकबंदी अधिकारी रामजी लाल या कल्याण सिंह के अधिकारों की केवल वही घोषणा और निर्णय कर सकता था, जो उनके संबंधित भूमि भूखंडों के विखंडन को रोकने और उन्हें एकीकृत या पुनर्वितरित करने के लिए आवश्यक थी - यह प्रावधान चकबंदी अधिकारी को रामजी लाल को उस संपत्ति के संबंध में स्वामित्व प्रदान करने में सक्षम नहीं बनाता है, जो चकबंदी कार्यवाही से पहले कभी भी उनके अधीन नहीं थी, और इसके विपरीत, चकबंदी अधिकारी कल्याण सिंह के स्वामित्व अधिकारों को छीन नहीं सकता

था, जो उन्होंने चकबंदी कार्यवाही शुरू होने से काफी पहले विरासत में प्राप्त किए थे – उच्च न्यायालय द्वारा चकबंदी अधिकारी के आदेश को सही तरीके से शून्य और अवैध तथा अधिकार क्षेत्र के बाहर माना गया है। [पैरा 12,13]

उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 - धारा 49 - क्या उच्च न्यायालय ने अनुरक्षणीयता के विधिक मुद्दे के निर्धारण के लिए राजस्व परिषद द्वारा पारित रिमांड के आदेश में हस्तक्षेप करके अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है।

आवधारित: राजस्व बोर्ड के आदेश में हस्तक्षेप करके उच्च न्यायालय सही था - चूंकि एक बार कल्याण सिंह को विषयगत संपत्ति में सह-स्वामी मान लिया गया, तो भूमि पर रामजी लाल के साथ अनन्य कब्जा, यदि कोई हो, संयुक्त प्रकृति का था - कल्याण सिंह को कानून की दृष्टि में पहले से ही विषयगत भूमि पर संयुक्त कब्जा रखने वाला माना गया था, इसलिए उसे विवादित भूमि में अपने हिस्से के लिए कब्जे का आदेश लेने की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 17]

उद्धृत केस लॉ

अत्तर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1959] सप. 1 एससीआर 928;
अमर नाथ बनाम केवला देवी [2014] 14 एससीआर 677: (2014) 11 एससीसी 273;
करबलाई बेगम बनाम मोहम्मद सईद [1981] 1 एससीआर 863: (1980) 4 एससीसी 396 - पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953; विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

कीवर्ड की सूची

उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 49; उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 49 के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग; चकबंदी अधिकारी द्वारा शक्ति का हड़पना।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मामला:

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8743-8744/2014

उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के दिनांक 16.01.2013 के निर्णय और आदेश से डब्ल्यू पी संख्या 752/2007 और डब्ल्यू पी संख्या 305/2001 (पुराना क्रमांक डब्ल्यू पी संख्या 22810/1989) में

साथ

सिविल अपील संख्या 8971/2014 और अवमानना याचिका (सी) संख्या 86/2024

सिविल अपील संख्या 8743-8744/2014 में

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

एस.आर. सिंह, कविन गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुशांत कुमार यादव, अजय यादव, प्रतीक यादव, गौरव लोम्स, पृथ्वी यादव, अनुराग सिंह, ध्रुव कुमार सिंह, संजीव टंडन, सुश्री स्वप्निल सिंह, सुश्री राधा राजपूत, अंकुर यादव, यश पाल ढींगरा, सुश्री आशा गोपालन नायर, रोहित अमित स्टालेकर, पूर्णेन्दु बाजपेयी, शशांक सिंह, सुश्री आभा जैन, दिनेश कुमार गर्ग, अक्षत कुमार, एम.पी. पार्थिवन, तन्मय अग्रवाल, त्रिक चटर्जी, श्रीमती अदिति अग्रवाल, विनायक मोहन, ए. पी. मोहंती, मोहित शिवकुमार, दुष्यन्त शर्मा, अंकुर प्रकाश, मो. साकिब सिद्दीकी, आमोद कुमार बिधूड़ी, सुश्री सृष्टि कसाना, सुश्री प्रियंका सिंह, युधिस्टर भारद्वाज, सुश्री ज्योति शर्मा, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

सूर्यकांत, जज

1. मृतक अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन (आई.ए. सं.115495/2021), को विलंब के क्षमा के बाद, यदि कोई हो, की अनुमति दी जाती है। कारण शीर्षक को तदनुसार संशोधित किया जाए।
2. इन सिविल अपीलों में खसरा नंबर 115, 151 और 152, गांव की राजस्व संपदा के भीतर स्थित, मुस्तफाबाद, जिला हरिद्वार, उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) पर मालिकाना हक का विवाद है। यह विवाद में नहीं है कि विषय भूमि पैतृक संपत्ति है जो मूल रूप से अंगत के स्वामित्व में थी, जो अपने पीछे रामजी लाल, खुशी राम और प्यारा नामक तीन पुत्रों को छोड़कर मर गया। प्यारा निःसंतान मर गया और उसका हिस्सा उसके अन्य दो भाइयों को समान रूप से हस्तांतरित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि खुशी राम की भी मृत्यु 1950 से पहले हो गई थी, उनके पीछे उनके पुत्र कल्याण सिंह थे, जो अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। यह तथ्य कि कल्याण सिंह विषय भूमि में सह-मालिक/सह-हिस्सेदार था, राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों से पुष्ट हो जाता है, जो अपीलकर्ताओं ने इन कार्यवाही में भी प्रस्तुत कि हैं।
3. ऐसा प्रतीत होता है कि चकबन्दी की कार्यवाही 50 के दशक के अंत या 60 के दशक की शुरुआत में उ.प्र. चकबन्दी अधिनियम, 1953 (संक्षेप में, "1953 अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार मुस्तफाबाद गांव में की गई थी। रामजी लाल - कल्याण सिंह के चाचाओं में से एक- तत्कालीन 1953 अधिनियम की धारा 9(3) (अर्थात्, जैसा पहले था

यू.पी. (संशोधन) अधिनियम 8, 1963) के अंतर्गत उनकी भूमि से संबंधित लंबित रेफरेंस होने पर चकबंदी अधिकारी से संपर्क किया, यह दावा करते हुए कल्याण सिंह का ठिकाना अज्ञात था और इसलिए उनका स्वामित्व प्रविष्टि से नाम हटा दिया जाए। राजस्व रिकॉर्ड. चकबंदी अधिकारी ने सहायक चकबंदी अधिकारी की दिनांक 17.03.1960 रिपोर्ट के आधार दिनांक 08.05.1960 पर एक आदेश पारित किया जो अन्य बातों के साथ-साथ दावा करता है कि कल्याण सिंह - सह-कार्यकाल धारक के बारे में पिछले 10 में से 8 वर्षों से नहीं सुना गया है, वह गांव में नहीं पहुंचे और इस आशय का शपथ पत्र उनके चाचा रामजी लाल ने दायर किया। चूंकि कल्याण सिंह पर तामील के सभी प्रयास विफल रहे, चकबंदी अधिकारी ने, "रिकॉर्ड के सुधार के हित में", कल्याण सिंह का नाम रिकॉर्ड से हटा दिया और उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। इसी आधार पर रामजी लाल (बाद में उनके कानूनी प्रतिनिधि) अंगत की संपूर्ण भूमि का एकमात्र स्वामी होने का दावा करने लगे।

4. इसके बाद कल्याण सिंह ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी हरिद्वार के समक्ष मुकदमा संख्या 19/1985 दिनांक 12.03.1985 अपना आधा हिस्सा घोषित करने के लिए दायर किया। मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में हुआ। रामजी लाल ने एक अपील दायर की, जिसे 06.08.1986 को खारिज कर दिया गया। फिर रामजी लाल ने राजस्व बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील दायर की, उस अपील को 31.07.1989 को आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी और मुकदमे वापस भेज दिया गया जिसमें खसरा सं.115 के संबंध में धारा 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की लागूता पर एक मुद्दा गठित करने के बाद ताजे सिरे से निपटाने का निर्देश दिया गया। कल्याण सिंह ने राजस्व बोर्ड के उपर्युक्त आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उसकी रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा 16.01.2013 को पारित किए गए खंडपीठ के निर्णय द्वारा स्वीकार कर ली गई।

5. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और संभावित खरीदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना, जिनके पक्ष में कल्याण सिंह द्वारा कथित रूप से बिक्री के इकरारनामे और एक बंधनपत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य विधिक प्रतिनिधियों को भी सुना गया और रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री की समीक्षा की गई।

6. श्री एस.आर. सिंह, अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता, का मुख्य आधार 1953 के अधिनियम की धारा 49 है। उनका तर्क है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 08.05.1960 को पारित आदेश, जो कि उस प्रावधान के तहत उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, अंतिमता को प्राप्त हो गया है, जिससे कल्याण सिंह ने संबंधित भूमि में अपने अधिकार, शीर्षक या हित को खो दिया। उनका कहना है कि केवल कल्याण सिंह द्वारा दायर किया गया वाद इस प्रावधान के तहत स्पष्ट रूप से पूर्ववर्जित था, बल्कि यह वाद समयसीमा से बाहर भी था। इसके बाद यह तर्क किया गया कि उच्च न्यायालय ने कल्याण सिंह द्वारा दायर किए गए साधारण घोषणा के वाद की स्वीकार्यता पर

कानूनी मुद्दे के निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करके अपनी न्यायिक सीमा का उल्लंघन किया। राजस्व बोर्ड ने सही तरीके से वाद को पुनः भेजा ताकि उसकी स्वीकार्यता को धारा 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सके।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता/अन्य अधिवक्ताओं का तर्क है कि न तो 1953 के अधिनियम की धारा 49 इस मामले में लागू होती है और न ही चकबंदी अधिकारी के पास कल्याण सिंह को उनकी जातीय अधिकार से वंचित करने की क्षमता थी। प्रतिवादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, ऐसी शक्ति धारा 49 के अधीन नहीं आती है। जहां तक 1963 के विशेष राहत अधिनियम की धारा 34 का सवाल है, उनका तर्क है कि चूंकि कल्याण सिंह अपनी चाचा रामजी लाल या उनके उत्तराधिकारियों के साथ संबंधित भूमि में सह-मालिक थे, इसलिए संबंधित भूमि पर कब्जा सभी सह-मालिकों के पक्ष में बना रहा। परिणामस्वरूप, यदि उनमें से एक व्यक्ति वास्तविक भौतिक कब्जे में था, तो वह कब्जा सभी सह-मालिकों की ओर से अनुमत प्रकृति का था। इसलिए यह बनाए रखा गया कि कल्याण सिंह को अपने घोषणात्मक मुकदमे में किसी भी परिणामस्वरूप राहत जैसे कि कब्जे के लिए आदेश की आवश्यकता नहीं थी।

8. 1953 के अधिनियम की धारा 49 इस प्रकार है:

“49- सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध - तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि न्यायालय में किसी बात के होते हुए भी, किसी क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में खातेदार के अधिकारों की घोषणा और न्यायनिर्णयन, जिसके लिए धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी है, या चकबंदी कार्यवाही से उत्पन्न किसी अन्य अधिकार का न्यायनिर्णयन और जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और कोई भी सिविल या राजस्व न्यायालय ऐसी भूमि में अधिकारों के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही नहीं करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी:

परन्तु इस धारा की कोई बात सहायक कलेक्टर को किसी भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951) की धारा 122-बी के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने से नहीं रोकेगी, जिस पर कब्जा किसी को सौंप दिया गया है या उसे सौंप दिया गया समझा गया है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उसके अनुसार ग्राम सभा को सौंपा जाएगा।”

9. मात्र अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 1953 अधिनियम की धारा 49 सिविल और राजस्व अदालतों की न्यायाधिकारिता पर रोक लगाती है, विशेषकर उन मामलों में जहां चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धारा 49 एक अस्थायी निलंबन का प्रावधान है, जो केवल तब लागू होती है जब चकबंदी की प्रक्रिया चल रही हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह रोक केवल भूमि के स्वामित्वधारियों के अधिकारों की घोषणा और निर्धारण के संबंध में है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती स्वामित्वधारी नहीं है, धारा 49 लागू नहीं होती है।

10. "स्वामित्वधारी" की परिभाषा 1953 अधिनियम की धारा 3(11) में इस प्रकार दी गई है:

“(11) ‘स्वामित्वधारी’ का तात्पर्य ऐसे भूमिधर से है जिसके पास स्थानांतरित करने योग्य या स्थानांतरित न करने योग्य अधिकार हों, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(a) एक आसामी,

(b) एक सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदान प्राप्तकर्ता, या

(c) एक सहकारी कृषि समाज जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो;”

11. यह देखा जा सकता है कि स्वामित्वधारी का तात्पर्य ऐसे भूमिधर से है जिनके पास स्थानांतरित करने योग्य या स्थानांतरित न करने योग्य अधिकार हों। इस संबंध में, यह प्रश्न उठता है कि 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत स्वामित्वधारियों के अधिकारों की किस प्रकार की घोषणा या निर्धारण किया जा सकता है? इस संदर्भ में, अधिनियम की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

12. अधिनियम 1953 का उद्देश्य भूमि धाराओं के विघटन को रोकना और उन्हें इस प्रकार संकलित करना है कि प्रत्येक स्वामित्वधारी को समान राजस्व क्षेत्र में लगभग समान भूमि अधिकार प्राप्त हों। 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत चकबंदी अधिकारी की जिम्मेदारी विघटन को रोकना और स्वामित्वधारी की भूमि के विभिन्न भूखंडों को खंडित होने से रोकना और उन्हें समेकित करना है। ऐसा अधिकार केवल उन व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है जो पहले से ही भूमि के स्वामित्वधारी हैं। इसके विपरीत, धारा 49 के तहत ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी स्वामित्वधारी के निहित शीर्षक को छीन लिया जाए। 1953 अधिनियम के तहत संकलन अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण को ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अचल संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा का अधिकार केवल सिविल अदालत द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है, जब तक कि ऐसा अधिकार किसी कानून के तहत स्पष्ट या परोक्ष रूप से बाधित न हो। 1953 अधिनियम की धारा 49 को सिविल अदालत की अधिकारिता पर स्वामित्व अधिकार निर्धारित करने के लिए किसी रोक के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

13. इस आधारित करने के बाद, यह स्पष्ट है कि कल्याण सिंह ने स्वामित्वधारी के रूप में पैतृक अधिकार प्राप्त किए थे। वे मुकदमे की भूमि में चकबन्दी प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले सह-मालिक थे। इसलिए, 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत संकलन अधिकारी द्वारा केवल यही घोषणा और निर्णय किया जा सकता था कि उनके संबंधित भूमि भागों के विघटन को रोका जाए और भूमि के हिस्सों को उनके बीच संकलित या पुनर्वितरित किया जाए। जैसा कि उपर्युक्त विश्लेषण में देखा गया है, यह प्रावधान सं चकबन्दी अधिकारी को रामजी लाल को स्वामित्व देने का अधिकार नहीं देता, यदि वह संपत्ति चकबन्दी प्रक्रिया से पहले कभी भी उनके पास नहीं थी। इसके विपरीत, संकलन अधिकारी कल्याण सिंह के स्वामित्व अधिकारों को नहीं छीन सकता, जिसे उन्होंने चकबन्दी प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले ही प्राप्त किया था।

14. इस प्रकार, 08.05.1960 को चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश को सही तरीके से अमान्य और बिना अधिकार क्षेत्र का माना गया है। यह आदेश एक ऐसे अधिकार का दुरुपयोग करके पारित किया गया था, जो कभी भी चकबन्दी अधिकारी को नहीं सौंपा गया था। इस प्रकार, उक्त आदेश को सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है। यह मानने के बाद, हमें यह जांचने की आवश्यकता नहीं है कि कल्याण सिंह के साथ उस आदेश को प्राप्त करने में चकबन्दी अधिकारी की मिलीभगत या बिना मिलीभगत के कोई धोखाधड़ी की गई थी या नहीं। केवल यह कहा जाना आवश्यक है कि 08.05.1960 का आदेश कल्याण सिंह के अधिकारों पर किसी भी प्रकार की बाधयता या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता था।

15. सभी निष्पक्षता के साथ, याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जो कि सीता राम बनाम छोटा भोंडेय और अन्य में है, यह तर्क करने के लिए कि प्रक्रिया की अवधि के दौरान, अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र को मानते हैं और भूमि पर अधिकार के विवाद सहित सभी प्रकार के अधिकारों को निर्धारित करते हैं। हमारी गहन राय में, यह सीता राम (उपरोक्त) निर्णय का अनुपालन सिद्धांत नहीं है। वह मामला ऐसा था जहां विवाद सिदारी धाराओं से संबंधित था जो 1953 अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं का विषय थे। जब उप निदेशक संकलन के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को नकारा गया और उस आदेश को इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत स्वीकार किया, तो ये प्रक्रियाएँ अंतिम हो गईं। इसके बाद, असफल पक्ष ने एक सिविल मुकदमा दायर किया जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई कि उप निदेशक संकलन द्वारा पारित आदेश (जिसे उच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने स्वीकार किया था) बिना अधिकार क्षेत्र का था। उक्त मुकदमे को 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत आपत्ति के साथ विवादित किया गया। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने बहुत सही तरीके से कहा कि अगला सिविल मुकदमा 1953 अधिनियम की

धारा 49 के तहत बाधित था। तथ्य स्वयं ही बताएंगे कि इस न्यायालय ने उपर्युक्त घटनाओं की दृष्टि में धारा 49 की व्याख्या कैसे की।

16. हालांकि, यहां तथ्यों की स्थिति ऐसी नहीं है। हमें यह जोड़ने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामले में, कल्याण सिंह ने अपने नाम को राजस्व रिकॉर्ड से सह-मालिक के रूप में हटाने को चुनौती देते हुए एक घोषणा का मुकदमा दायर किया। जैसा कि इस आदेश के अनुच्छेद 14 में पहले उल्लेख किया गया है, इस मामले में 08.05.1960 का संकलन अधिकारी का आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना था और 1953 अधिनियम के दायरे में आने वाला आदेश नहीं था, और यह कल्याण सिंह के अधिकारों को बाधित नहीं कर सकता था।

17. न्यायालय द्वारा बोर्ड के आदेश में हस्तक्षेप करने की दलील पर, जिसमें मामले को निचली अदालत में वापस भेजने का निर्देश था ताकि विशेष राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 की लागूता पर कानूनी मुद्दे की जांच की जा सके, यह पूरी तरह से विचारणीय और अस्वीकार योग्य है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कल्याण सिंह को संपत्ति में सह-मालिक मान लिया जाता है, तो रामजी लाल के पास भूमि का अनन्य कब्जा, यदि कोई हो, तो वह संयुक्त रूप से था और सभी सह-मालिकों की ओर से था। कानून की दृष्टि में, कल्याण सिंह पहले से ही भूमि के संयुक्त कब्जे में था, इसलिए उसे अपनी हिस्सेदारी के लिए कब्जे की डिक्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

18. उपरोक्त कारणों के आधार पर, हमें इन अपीलों में कोई गुण नहीं पाते हैं, और इस प्रकार, इन्हें अस्वीकार किया जाता है।

अवमानना याचिका (सी) संख्या 86/2024

19. चूंकि अपीलों का निसतारण गुण व अवगुण के आधार पर किया गया है और कल्याण सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी अब मुकदमे की भूमि में परिणामस्वरूप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, हम इन अवमानना कार्यवाहियों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं मानते और पक्षों को उनके उपचारों को स्वयं समझने के लिए छोड़ते हैं।

20. इस प्रकार, अवमानना याचिका को अस्वीकार किया जाता है।